न्यायालय माननीय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर, केंप उज्जैन

R-2351-I/12

प्रकरण क0

मंगेश पिता विजय कुमार संधई, निवासी– मनासा तह. मनासा, जिला नीमच .....आवेदक

विरूद्व

1. श्रीमान कलेक्टर महोदय, नीमच म0प्र0
2. म0प्र0 शासन द्वारा :– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड मनासा, जिला नीमच

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं

न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 84/11–12/अपील में दिनांक 26.06.2012 कों जो आदेश पारित किया हैं उससे असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निगरानी माननीय न्यायालय में सादर प्रस्तुत हैं :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

01 यह कि, अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मनासा के द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया जिसका आवेदक ने प्रतिवाद करते हुए उत्तर प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी मनासा के द्वारा प्रकरण कमांक 8/अ/67/08–09 में दिनांक 28/01/2011 को आदेश पारित करते हुए आवेदक पर रूपये 2,88,660/–अक्षरी दो लाख अठ्यासी हजार छैः सौ साठ का अर्थदण्ड आरोपित किया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा कलेक्टर नीमच के यहां अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील प्रकरण कमांक 13/अपील/2010–11 में दिनांक 06/09/2011 को कलेक्टर नीमच द्वारा अपील निरस्त की गई। कलेक्टर जिला नीमच द्वारा पारित आदेश के विरूद्व आवेदक ने द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के यहां प्रस्तुत की। उक्त अपील प्रकरण कमांक 84/अपील/11–12 दिनांक 26/06/2012 को न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन द्वारा निरस्त की गई।

02. यह कि, दिनांक 28/06/2008 की रात्री में ग्राम अल्हेंड स्थित गोवर्धन गौशाला

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2351–एक/12 जिला – नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–10–2018	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 84/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 26/06/12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की। 2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि, दिनांक 18/06/2008 को रात्रि में ग्राम अल्हेंड स्थित गोवर्धन गौशाला मनासा के नाम से सर्वे कमांक 1575 रकबा 20.296 हेक्टर भूमि पर मंगल नागदा टीचन कालोनी मनासा की जे.सी.बी द्वारा अवैध उत्पखन्न व परिवहन होने पर जे.सी.बी. मशीन जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में दी जाकर मौके का पंचनामा बनाया गया। तहसीलदार मनासा के प्रतिवेदन अनुसार अनावेदक मंगेश पिता विजय कुमार के द्वारा अवैध उत्खन्न करवाया जाकर न्यू उषा गंज कालोनी पर मुर्रम डलवाया जाना पाये जाने का प्रतिवेदन खनिज अधिकारी नीमच को प्रस्तुत किया गया। खनिज अधिकारी ने अवैध उत्खन्न किया जाना प्रमाणित पाये जाने से प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनासा को प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रकरण कमांक 08/अ–67/08–09 दर्ज किया जाकर आवेदक को सूचना पत्र जारी किया। आवेदक द्वारा जारी	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सूचना पत्र का खण्डन करते हुए उत्तर सूचना पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 28/01/2011 द्वारा को आवेदक के विरूद्व राशि रूपये 2,88,660/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी मनासा के उक्त आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा कलेक्टर जिला नीमच के समक्ष अपील कमांक 13/अपील/10–11 पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 06/09/2011 द्वारा अस्वीकार की । कलेक्टर, नीमच के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश दिनांक 26–6–12 द्वारा निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये । उनके द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अनुविभागीय अधिकारी मनासा जिला नीमच का सूचना पत्र विधिवत नही हैं उसमें वे तथ्य नही दिये गये जो मध्य प्रदेश भू राजस्व की धारा 247 के अंतर्गत आवश्यक हैं। आवेदक को कारण बताओं सूचना पत्र भी नही मिला इस कारण आवेदक अपनी उचित कानूनी प्रतिरक्षा नही कर पाया तथा न्याय प्राप्ति से वंचित रह गया। कारण बताओ सूचना पत्र में यह भी नही बताया गया कि अवैध उत्खन्न किस व्यक्ति के द्वारा किया गया एवं किस स्थान पर किया गया। प्रतिवेदनकर्ता अधिकारी के लिये यह आवश्यकता है कि अवैध उत्खन्न का नक्षा तैयार करे एवं अवैध उत्खन्न कहां किया गया है उसे दर्शायें प्रतिवेदन में उत्खन्न गड्डे की संख्या	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2351–एक/12 जिला – नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	भी बताना चाहिये जिस स्थान में अवैध उत्खन्न किया गया । अवैध उत्खन्न में माल की मात्रा भी स्पष्ट होनी चाहिये। जिससे स्पष्ट हो सके कि कितने माल का उत्खन्न किया गया हैं निकाले गये बाजार माल का बाजार मूल्य दर्शाना चाहिये। आवेदक द्वारा इस संबंध में न्याय द्वष्टांत रेवेन्यु निर्णय 1979 नोट 579 प्रस्तुत किया। अवैध उत्खन्न का आरोप आवेदक पर लगाया गया हैं अवैध उत्खन्न को प्रमाणित करने का भार भी राज्य सरकार पर हैं। प्रकरण शंका से परे प्रमाणित नही हैं। आवेदक द्वारा इस संबंध में न्याय द्वष्टांत 2005 रेवेन्यु पेज 107 सरेन्द्र सिंह विरूद्व म0प्र0 राज्य 1997 रेवेन्यु 174 का हवाला दिया गया है । यह तर्क भी दिया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मनासा के यहां पर साक्षी मुकेश (पटवारी), राकेश बामनिया (पटवारी) का कथन हुआ तथा आवेदक मंगेश पिता विजय कुमार संघई आवेदक ने आदेश 18 नियम 4 व्य0प्र0सं0 का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। शपथ पत्र का शासन की ओर से कोई कूटपरीक्षण नही किया गया। आवेदक की ओर से इस संबंध में 1993 जे.एल. जे पेज न. 125 प्रस्तुत किया । उसमें यह उल्लेख हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 साक्षी का कथन प्रतिपरीक्षण में आक्षेपित नही किया गया कथन स्वीकार किया गया। यह बताया गया कि	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक ने अपने शपथ पत्र के पद कमांक 2 में यह उल्लेख किया गया हैं कि मैं स्वयं गोवर्धन गौशाला का अध्यक्ष हूँ। इस कारण मेरे द्वारा अन्य व्यक्तियों से उक्त स्थान गोवर्धन गौशाला की भूमि से अवैध उत्खन्न कर उसके परिवहन करवाये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता। आवेदक ने अपने शपथ पत्र में यह बताया हैं कि न ही उसने कोई उत्खन्न किया हैं और न ही करवाया हैं। आवेदक के अभिभाषक का यह भी तर्क हैं कि वह स्वयं जिस गौशाला की भूमि सर्वे 1575 रकबा 20.296 की भूमि पर अवैध उत्खन्न करना बताया गया हैं वह भूमि गोशाला की हैं और वह उसका अध्यक्ष हैं। वह अवैध उत्खन्न क्यों करवायेगा अगर उसे उत्खन्न करवाना हैं तो वह खनिज विभाग से स्वीकृति लेकर उत्खन्न करवा सकता हैं। उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है । 4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क के प्रकाश में अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का सूक्ष्म परीक्षण एवं अवलोकन किया गया हैं और गवाहों के कथन का भी अवलोकन किया गया गवाहों के कथनों से कहीं यह सिद्व नही होता हैं कि आवेदक ने अवैध उत्खन्न किया हैं। आवेदक द्वारा अधिनस्थ राजस्व अधिकारी के यहां प्रस्तुत शपथ पत्र में भी उसने समस्त आरोपों से इंकार किया है और अनावेदक शासन पक्ष की ओर से आवेदक का कोई कुटपरीक्षण नही किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत 1993 जे.एल.जे पेज न. 125 में प्रतिपादित सिद्धांत के परिपेक्ष्य में आवेदक का कथन अविश्वसनीय नही कहा जा	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2351–एक / 12 जिला – नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सकता । अभिलेख को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि अुनविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 247 में जो तत्व दिये गये हैं उन तत्वों का पालन भी नही किया गया हैं। किसी भी साक्षियों के कथन से यह प्रमाणित नही होता हैं कि आवेदक द्वारा अवैध उत्खन्न किया गया हैं या किसी से करवाया गया हैं। रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि आवेदक के विरूद्व अवैध उत्खन्न का प्रकरण प्रमाणित नही होता हैं। अपीलीय न्यायालयों के आदेशों से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए आदेश पारित किये हैं, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं । उपरोक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं । पक्षकार सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । (एम0 गोपाल रेड्डी) प्रशा0 सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर	